

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल खंडकी केवल आवासीय भूखण्ड

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 118 दिनांक 24/05/2019

प्राधी पुरवैतम सिंह 3/0 हा मांगीलाल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12,312/- जमा है।

जरिये समेत संख्या 1222, 1262, 1269

दिनांक 24/05/2019 को जमा करा दी है।

*प्रारूपकार*

प्रारूपकार

नगर निगम, जोधपुर

*Pranish*

P.No: 04 रुद्रा कौशिकी, शाप्या पार्क